छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील क्रमांक 97/2006

श्री सुरेश कुमार राठौड़,
एच.आई.जी. II/28,
बोरसी विस्तार, दुर्ग
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय महिला एवं बाल विकास
विभाग, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
.... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(दिनांक 29 दिसम्बर 2006)

श्री सुरेश कुमार राठौड़ निवासी–दुर्ग के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिला परियोजना अधिकारी से जानकारी मांगी गई कि श्रीमती शिव कुमारी द्विवेदी की नियुक्ति गलत अंकसूची के आधार पर हुई है तथा उनकी जन्मतिथि भी गलत लिखी हुई है। उनके द्वारा इस संबंध में शिकायत की जांच प्रतिवेदन मांगा गया। परियोजना अधिकारी को जन सूचना अधिकारी के द्वारा उपस्थिति दिनांक 7–11–2005 के द्वारा जांच की प्रति चाही गई। अपीलार्थी को 78 पेज के अभिलेखों की प्रति उपलब्ध कराई गई। अपीलार्थी ने असंतुष्ट होकर अपीलीय अधिकारी को जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, दुर्ग को प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 16–02–2006 के द्वारा आवेदक की अपील निरस्त करने की सूचना दी, जिसके विरूद्ध आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन–पत्र में उल्लेख किया है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभार में रहने के दौरान ही गलत व्यक्ति की नियुक्ति हुई है तथा उनकी शिकायत की जाँच बिन्दुवार नहीं की गई, अतः उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई की गई।

3/ दिनांक 03–10–2006 को अपीलार्थी के द्वारा बतलाया गया कि उसे वांछित जानकारी समय पर नहीं मिली। पूर्व में नियत दिनांक को प्रतिअपीलार्थी ने समय मांगा था। समय देने के पश्चात् भी जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ। आयोग के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–20 के अंतर्गत 10,000/– रूपए की शास्ति का कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। दिनांक 28–09–2006 को प्रतिअपीलार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। आयोग के द्वारा यह निर्देश दिये गये कि शेष जानकारी अपीलार्थी को 25 दिन के अंदर निःशुल्क प्रदान की जावे। आयोग के द्वारा कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में दोनों पक्षों के तर्कों की सुनवाई की गई तथा

उनकी ओर से प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसे पूर्व में जांच प्रतिवेदन की कंडिकावार जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक का आवेदन–पत्र प्राप्त होने के बाद परियोजना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 7–11–2006 के द्वारा श्री सुरेश सिंह, परियोजना अधिकारी, बालोद का जांच प्रतिवेदन, गवाहों के बयान की प्रतियां आदि उपलब्ध कराई गई। अपीलार्थी ने कंडिकावार जांच प्रतिवेदन चाहा था, जो कि उसे दिनांक 20–12–2006 को परियोजना अधिकारी श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराया गया। अपीलार्थी ने समक्ष में वर्तमान में प्राप्त जांच प्रतिवेदन से संतुष्टि व्यक्त की। प्रतिअपीलार्थी जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री जी.एस. पवार के द्वारा बतलाया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर उसकी जांच की गई है। आवेदक को पूर्व में की गई जांच की 78 पृष्ठों की जानकारी उपलब्ध कराई गई। प्रतिअपीलार्थी ने स्पष्ट किया कि उसकी पदस्थापना जिले में दिनांक 12–07–2006 को हुई है तथा अपीलार्थी का यह प्रकरण उसके कार्यकाल की अवधि का नहीं है। उसने यह भी स्पष्ट किया कि अपीलीय अधिकारी के निर्णय के पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध हो चुका था। आयोग के निर्देशानुसार उसके द्वारा बिन्दुवार जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराई गई। आयोग के निर्देश के बिना वह अपनी ओर से प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील निरस्त करने के बाद जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकता था।

4/ प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पूर्व में उसके द्वारा की गई शिकायत की जांच प्रतिवेदन जन सूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। साथ ही गवाहों के बयान की प्रतियां भी उपलब्ध कराई गई थी। अतः यह मान्य नहीं है कि अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। बाद में परियोजना अधिकारी के द्वारा आयोग के निर्देश देने पर बिन्दुवार जांच प्रतिवेदन भी उपलब्ध करा दिया गया है। चूंकि पूर्ववर्ती परियोजना अधिकारी तथा वर्तमान परियोजना अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा जानबूझकर तथा द्वेषवश जानकारी उपलब्ध नहीं कराने का कोई प्रमाण नहीं है, जिससे प्रतिअपीलार्थी पर 10,000/– रूपए आर्थिक दण्ड किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः प्रतिअपीलार्थी को जारी किया गया शास्ति का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है।

5/ प्रकरण से यह भी स्पष्ट होता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में अनियमितताओं की शिकायतें हुई हैं। अपीलार्थी के द्वारा श्रीमती शिव कुमारी द्विवेदी के संबंध में उल्लेख किया गया है कि उसकी जन्मतिथि गलत बताई गई है तथा उसकी पांचवी एवं आठवीं की अंकसूची में दर्ज जन्मतिथि हायरसेकेण्डरी बोर्ड की अंकसूची से भिन्न है। प्रकरण प्रथमतया जांच का प्रतीत होता है, अतः सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को आदेश की प्रति भेजी जावे तथा उनसे अपेक्षा की जाती है कि इस संबंध में पूर्व में भी हुई शिकायतें तथा कलेक्टर को प्राप्त हुई शिकायतों की जाँच कराकर उचित कार्यवाही करें।

6/ उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त